कार्यालय रांची नगर निगम, रांची।

(बाजार शाखा)

अल्पकालीन बन्दोबस्ती की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 (दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक) के लिये रांची नगर निगम नियंत्रणाधीन स्टैण्ड एवं बाजारों की बन्दोबस्ती खुली डाक के माध्यम से की जायेगी। बन्दोबस्ती अधिकतम बोली गयी डाक के आधार पर होगी। इस बन्दोबस्ती में निबंधित संस्था/समिति/प्रतिष्ठान एवं अच्छे आचरण वाले व्यक्ति भाग ले सकते है।

पड़ाव एवं बाजारों की सूची, सुरक्षित राशि, जमानत की राशि एवं डाक की तिथि निम्नवत है :–

क्रम सं०	पड़ाव/बाजार का नाम	बन्दोबस्ती की सुरक्षित राशि	जमानत की राशि (सुरक्षित राशि का 25%)
01	बिरसा बस स्टैण्ड, खादगढ़ा, कांटा टोली, राँची।	12973846	3243462
02	आई०टी०आई० बस स्टैण्ड, इटकी रोड, राँची।	3305110	826278
03	रामगढ़ ट्रेकर स्टैण्ड, राँची।	511866	127967
04	रातु रोड न्यु मार्केट के अन्दर टेम्पू स्टैण्ड	2161797	540449
05	अरगोड़ा चौक मैदान के सामनें ऑटो पड़ाव	1047136	261784
06	चाँदनी चौक, कांके रोड मे बस पड़ाव	101271	25318
07	गुदड़ी बाजार	65266	16317
08	बहु बाजार	372534	93134
09	एस०के० सहाय डेली मार्केट बाजार	821317	205329
10	मोराबादी बाजार	548900	137225
11	अपर बाजार (बड़ा बाजार)	280043	70011
12	मधुकम खादगढ़ा सब्जी बाजार	1104137	276034

उपरोक्त पड़ावों की बन्दोबस्ती हेतु निम्न प्रकार से तिथि निर्धारित की गई है :–

		निविदा प्राप्त करने की तिथि	निविदा निष्पादन की तिथि
01	क्रम सं०– 1, 2, 3, – 4, 5 एवं 06 हेतु	07.03.2018 अपराह्न 2.00 बजे तक	दिनांक 07.03.2018 अपराह्न 4.00 बजे
02	क्रम सं०– 7, 8, 9, – 10, 11, एवं 12	08.03.2018 अपराह्न 2.00 बजे तक	दिनांक 08.03.2018 अपराह्न 4.00 बजे
03	आवेदन प्रपत्र का मुल्य	–	500/–रु०

नोट –1. आवेदन पत्र दिनांक 24.02.18 से 28.02.18 तक किसी भी कार्य दिवस में निगम कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

2. निर्धारित तिथि को अपराहन् 2.00 बजे तक निविदा प्राप्त की जयेगी एवं उसी तिथि को अपराहन् 4.00 बजे प्राप्त निविदा का निष्पादन किया जायेगा।

बन्दोबस्ती के नियम एवं शर्त्ते निगम वेब–साईट **www.ranchimunicipal.com** पर एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रर्दर्शित है। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में बाजार शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।

नगर आयुक्त
राँची नगर निगम, राँची।

कार्यालय राँची नगर निगम, राँची।

सब्जी बाजार/स्टैण्ड के लिए बन्दोबस्ती की शर्तें।

1. बन्दोबस्ती की अवधि दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक के लिये होगा।
2. संबंधित बाजारों/स्टैण्ड आदि के सामने अंकित जमानत की राशि **बैंक ड्राफ्ट द्वारा नगर आयुक्त, रांची नगर निगम, रांची** के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना होगा ।
3. जिन प्रतिष्ठानों/संस्थानों/व्यक्तियों के पास निगम की राशि बकाया होगी, निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसे किसी बकायेदार द्वारा निविदा डाली जाती है, तो उनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुये जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
4. निविदा/बन्दोबस्ती प्रक्रिया के निष्पादनोपरान्त सर्वप्रथम संबंधित सफल निविदादाता को कार्य आवंटन संबंधी L.O.A निर्गत किया जायेगा।
5. इसके पश्चात् नियमानुसार असफल निविदादाता की जमानत राशि (बैंक ड्रफ्ट मूल रूप में) उनसे अनुरोध प्राप्त होने पर लौटायी जायेगी।
6. पार्किंग, बाजार/हाट बन्दोबस्ती के मामले में डाक के निष्पादनोपरान्त डाक बोली की राशि निम्न प्रकार से जमा की जायेगी।

क्रमांक	राशि		निर्धारित समय
(i)	10 लाख रू० तक	–	100% 24 घण्टे के अंदर
(ii)	10 लाख रु० से उपर	–	70% राशि 24 घंटे के अंदर एवं शेष 30% राशि वित्तीय वर्ष के 31 अक्टुबर तक

7. बन्दोबस्त राशि के विरूद्ध निर्धारित सर्विस टैक्स की अतिरिक्त राशि जमा करना होगा।
8. L.O.A निर्गत होने की तिथि से 07 (सात) दिनों के अन्दर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा। यदि परिस्थिति जन्य, इसमें अवधि विस्तारित करने की आवश्यकता होगी, तो इसके लिये अधोहस्ताक्षरी से विशेष आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किये जायेंगे।
9. एकरारनामा का निबंधन अपने खर्च पर करवाना होगा। एकरारनामा निबंधन के पश्चात ही महसूल वसूली के लिये प्राधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा।
10. निर्धारित शर्त्त के उल्लघंन या बिना किसी वैध कारण के राशि जमा करने में विलम्ब करने के लिये एकरारनामा रद्द किया जा सकता है एवं अन्य विपरीत परिस्थिति यथा– विधि व्यवस्था या जनहित के मुद्दे आने पर एकरारनामा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
11. द्वितीय किस्त वसूली के लिये कोई भी नोटिस अलग से कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं भी किया जा सकता है, बल्कि शर्त्त में जो तिथि निर्धारित की गई है, उस तिथि का अनुपालन करना संबंधित बन्दोबस्तधारी की जिम्मेवारी होगी।
12. महसूल (टॉल टैक्स) वसूली निगम द्वारा निर्धारित दर पर करना होगा एवं निर्धारित दर के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। एतद् संबंधी सूचना पट्ट पड़ाव स्थल पर प्रतिष्ठानों/संस्थानों/व्यक्तियों को अपने खर्च से लगाना होगा।
13. पड़ाव स्थल से दुकानों या भेण्डर से महसूल वसूली का अधिकार निगम का होगा।
14. बिरसा बस स्टैण्ड में बसों को व्यवस्थित रुप से लगवाना होगा एवं बसों का आवगमन हेतु यातायात व्यवस्थित करने के लिए कम से कम बारह (12) स्वयं सेवक रखने होगें एवं ITI बस स्टैण्ड में बसों को व्यवस्थित रूप से लगवाना होगा एवं बसों के आवागमन हेतु यातायात व्यवस्थित करने के लिये कम से कम 04 स्वयंसेवक रखने होंगे जो कि शिफ्ट वार में कार्य करेगें। सभी स्वयं सेवक ड्रेस में होगें, जिसका रंग एवं प्रकार निगम के द्वारा तय किया

जायेगा। बस पड़ाव में खाली बसे निर्धारित स्थान पर ही लगेगी। इस निमित बस स्टैण्ड प्रबंधक–सह–नगर प्रबंधक, बाजार शाखा के द्वारा इस संबंध में दिये गये निदेश बाध्यकारी होगें। साथ ही निगम के उच्च पदाधिकारियों के द्वारा समय–समय पर यातायात व्यवस्थित करने के संबंध में दिये गये निदेशों का अनुपालन करना होगा। निदेश के अनुपालन नहीं करने पर बन्दोबस्ती रद्द कर दी जायेगी।

15. बस स्टैण्ड की बन्दोबस्ती राशि के अतिरिक्त बिरसा बस स्टैण्ड एवं ITI बस स्टैण्ड के लिये एक लाख रु० Performance Security के रुप में जमा करना होगा एवं शेष बस/टैम्पू स्टैण्ड के लिये 25000/– रू0 Performance Security के रूप में जमा करना होगा।

16. बस स्टैण्ड परिसर में अवैध Vendor (यथा ठेला, खोमचा, गुमटी आदि) पाये जानें पर प्रत्येक दिन के लिए 2,000/–रु० अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा एवं यह राशि जमा की गयी Performance Security की राशि से समायोजित कर ली जायेगी। Performance Security की राशि से समायोजित कर जी जायेगी। Performance Security की राशि समाप्त होनें पर राशि पुनः जमा करनी होगी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस मद में शेष राशि संवेदक को वापस कर दी जायेगी।

17. स्वयं सेवक उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में 2,000/–रु० प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा एवं इस राशि को Performance Security की राशि से समायोजित कर लिया जायेगा।

18. किसी भी निविदा को वगैर कोई कारण बतायें रद्द करने का अधिकार अथवा Negotiation करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

19. आवेदन पत्र के साथ जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/चल–अचल संपति का ब्योरा/संबंधित थाना से अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का दो फोटो/जिला प्रशासन से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं सक्षम पदाधिकारी से निर्गत निवास प्रमाण पत्र एवं आयकर विभाग से निर्गत PAN No. संलग्न करना आवश्यक है।

20. पड़ाव स्थल से वाहनों की चोरी एवं क्षतिग्रस्त होने पर निगम जिम्मेवार नहीं होगी। उसकी जिम्मेवारी बन्दोबस्तधारी की होगी ।

21 बन्दोबस्ती स्थल की साफ–सफाई की जिम्मेवारी बन्दोबस्तधारी की होगी। निगम द्वारा निरीक्षण के दौरान यह पाया जायेगा कि बन्दोबस्ती स्थल की सफाई नहीं की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 259 के तहत् प्रतिदिन 500/– रु० न्यूनतम अर्थदण्ड लिया जा सकता है एवं सफाई स्थल के साफ–सफाई में आने वाले खर्च अलग से वसूल किये जायेंगे। निगम द्वारा लगाये गये अर्थदण्ड एवं सफाई करने में हुये खर्च की वसूली बन्दोबस्तीधारी के द्वारा दिये गये जमानत की राशि से वसूल की जायेगी।

22 बिरसा बस स्टैण्ड के साफ–सफाई हेतू दस (10) स्वयं सेवक एवं ITI बस स्टैण्ड की साफ–सफाई के लिये पाँच (5) स्वय सेवक वर्दी में नगर प्रबंधक–सह–प्रबंधक, बिरसा बस स्टैण्ड को उपलब्ध कराना होगा।

23 अधिसूचना संख्या 06/ए0/न0वि0/एस0बी0एम0/यूजर चार्ज 02/2015/470 दिनांक 15.03.2016 के आदेशानुसार सब्जी बाजार के संवेदकों को प्रत्येक सब्जी विक्रेता से प्रतिदिन 7/– रू0 के दर से सफाई शुल्क वसूल कर कार्यालय में जमा करना होगा।

नोटः– मुहरबन्द लिफाफा निविदा समिति एवं निविदाताओं/निविदादाता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में खोली जायेगी एवं आवेदक के द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही डाक में भाग ले सकते हैं।

13/2/18

सहायक नगर आयुक्त,
राँची नगर निगम, राँची।

नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम, रांची।